Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत– राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम सवाई माधोपुर

सैय्याद अली उर्फ साबिर अली बनाम अनवर अली वगै0

किस्म मुकदमा 223 आर टी एक्ट....अपील संख्या 44/23 GCMS NO 2023/107

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7.4.25	अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट अधिवक्ता की बहस अपील पर सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के मुकदमा न0 15/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.15 के विरूद्व पेश की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति से वाद पत्र डिक्री किया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील साबिर अली के नाम की हद तक अपील स्वीकार करने करने की प्रार्थना की गई है। अपीलांट अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि सहवन से वाद पत्र मे प्रस्तुत राजीनामा मे सैय्याद अली के स्थान पर साबिर अली दर्ज हो गया था। जिसे दुरूस्त करना आवश्यक है। इसलिए पक्षकार साबिर अली का नाम संशोधन कर सैय्याद अली पुत्र सबदर अली दर्ज किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे। रेस्पो0 द्वारा न्यायालय हाजा मे दिनांक 26.11.24 को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र पेश कर उक्तानुसार संशोधन किये जाने मे किसी प्रकार की आपत्ति नही होने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अपीलांट अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.24 का अवलोकन किया गया । पक्षकारान द्वारा आपसी सहमति से साबिर अली के स्थान पर सैय्याद अली का नाम संशोधन किये जाने की सहमति प्रकट की है। इस प्रकार अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के मुकदमा न0 15/15 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.5.15 मे पक्षकार सैय्याद अली की हद तक आंशिक संशोधन इस प्रकार किया जाता है कि साबिर अली के स्थान पर सैय्याद अली पुत्र सबदर अली जाति मुसलमान निवासी खिरनी तहसील मलारना डूंगर जिला सवाई माधोपुर पढा जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड मे संशोधन किया जाकर अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार मलारना डूंगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली मे आवश्यक कार्यवाही कर दाखिल रिकार्ड होवे।	

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.10.10 13:43:40 IST
Reason: SelfAttested